अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

1. कालूराम पुत्र सांवलाराम उम्र 32वर्ष
2. जोगाराम पुत्र सांवलाराम उम्र 29 वर्ष
3. केसाराम पुत्र सांवलाराम उम्र 28 वर्ष
4. पारसमल पुत्र सांवलाराम उम्र 23 वर्ष
5. भटाराम पुत्र सांवलाराम उम्र 14 वर्ष
6. सुआ कुमारी पुत्री सांवलाराम उम्र 13 वर्ष

वादी संख्या 5 व 6 नाबालिग जरिये कुदरती बलिया माता मूलीदेवी पत्नि सांवलाराम जाति भील निवासी सिणधरी चौसिरा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

बनाम

1. सांवलाराम पुत्र रतनाराम
2. गंगाराम पुत्र मगाराम
3. हुरमीदेवी पत्नि मगाराम

जाति भील निवासी सिणधरी चौसिरा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

4. तहसीलदार सिणधरी

मुकदमा संख्या 29 / 2023

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
13.02.2023	वकील प्रार्थीगण श्री भंवरलाल सारण द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर हो। आवेदन वास्ते अन्तरिम अस्थाई निषेघाज्ञा जारी करने बाबत एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण के वकील ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण के हक में एक मजबूत प्रथम दृष्टया दावा काबिल डिक्री के है। कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा सिणधरी चौसिरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 365/82 रकबा 3.9681 हेक्टयर, खसरा नम्बर 93/17 रकबा 0.0081 हेक्टयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.1294 हेक्टयर व प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 92/3 रकबा 2.3542– हेक्टयर की आई हुई है। किं वादग्रस्त भूमि विप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता स्व. रतनाराम से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है। वक्त सेन्टलमेंट के समय प्रार्थीगण के दादा रतनाराम के खातदोरी की आई हुई थी तथा रतनाराम के फौत होने पर प्रार्थीगण के पिता विप्रार्थी संख्या 1 व उनके भाई के नाम दर्ज हुई, पैतृक सम्पति में पुत्र का जन्म से हक व हिस्सा उत्पन्न हो जाता है, इसलिये उक्त पैतृक भूमि खसरा नम्बर 365/82, 93/17, 95 में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/14 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 का 1/14 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 92/3 में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/7 हिस्सा व विप्रार्थी संख्या 1 का 1/7 हिस्सा पैतृक खातेदारी का है। कि वादग्रस्त भूमि वक्त सेन्टलमेंट से पूर्व स्व. रतनाराम के कब्जे काश्त की थी तथा वक्त सेन्टलमेंट के समय प्रार्थीगण के दादा रतनाराम के नाम का पर्चा लगान जारी हुआ व सेन्टलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है इस कारण वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की [illegible] और प्रार्थीगण अपने दादा रतनाराम की पैतृक भूमि में मिलने वाले [illegible] का प्र[illegible] श्रेणी के उत्तराधिकारी है और प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा [illegible] प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बटवाडा कर [illegible] है क्योंकि पैतृक भूमि में अपने पिता के जीवनकाल में ही पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में जन्म से ही [illegible]कार प्राप्त हो जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 वृद्वावस्था में है तथा शराबी प्रवृति का व्यक्ति है जो प्रार्थी से ईष्या पूर्ण व्यवहार रखता है एवं विप्रार्थी संख्या 1 वृद्वावस्था में होने के कारण तथा भूमाफियाओं के प्रभाव व दबाव में रहते हुऐ तथा वर्तमान में भूमि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाने के कारण भूमाफियाओं द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 पर अनुचित दबाव बनाकर सम्पूर्ण भूमि का अपने से हस्तातरण करवाने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त पैतृक व सहदायिकी भूमि से महरूम करना चाहते है तथा विप्रार्थी प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप व दखलअन्दाजी करता रहता है तथा राजस्व रेकर्ड में रद्दोबदल करने पर आमादा है।	

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:40:59 IST
Reason: SelfAttested

यदि विप्रार्थीगण ने जबरन पैतृक व सहदायिकी भूमि का बेचान व हस्तातरण कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में मुद्रा के रूप में सम्भव नहीं है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी स्व रतनाराम का वंशज व विधिक उत्तराधिकारी होने से पैतृक वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा उत्पन्न हो जाता है इसलिये वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का कब्जा काश्त, ढाणी बनी हुई है।। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सिणधरी चौसिरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 365/ 82 रकबा 3.9681 हेक्टयर, खसरा नम्बर 93/17 रकबा 0. 0081 हेक्टयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.1294 हेक्टयर व खसरा नम्बर 92/3 रकबा 23542 हेक्टयर में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 किसी प्रकार का हस्तक्षेप, दखलअन्दाजी व बाधा कारित नहीं करें तथा पैतृक भूमि का वाद के निर्णय तक किसी प्रकार का बेचान, हस्तातरण व रहन आदि नहीं करें तथा न हीं किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें तथा वादग्रस्त भूमि के भौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जावें।

हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की खातेदारी की पैतृक एवं सामलाती कब्जे काश्त की भूमि है तथा विवाद का मुख्य कारण खातेदारी की घोषणा करवाने का होने से उसका निपटारा मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधिवत सुनवाई के किया जाना है। जहां वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा सलंग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में रद्दोबदल इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्यता प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 15.03.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है,कि मौजा सिणधरी चौसिरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 365/ 82 रकबा 3.9681 हेक्टयर, खसरा नम्बर 93/17 रकबा 0. 0081 हेक्टयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0. 1294 हेक्टयर व खसरा नम्बर 92/3 रकबा 23542 हेक्टयर भूमि के संबंध में किसी प्रकार की बैचान इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनायें रखें।

विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी.नोटिस तलब हो। रजिस्ट्रर्ड ए.डी.नोटिस की दस्ती प्रार्थी वकील को दी जाकर पत्रावली वास्ते–विप्रार्थीगण की तलबी एवं जवाब हेतु दिनांक 15.03.2023 को पेश हो

15.3.23

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

30.5.23

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Ku
Date: 2024.02.07 14:40:59 IST
Reason: SelfAttested

2?/2023

30-5-23 पत्रावली पेश हुई
प्रार्थी वकील उप.।
स्थगन आदेश प्रभावित यथावत रहेगा।
विपक्षीगण की तलबी हेतु जारी नोटिस का
इंतजार बाबत पत्रावली आदेशार्थ 25.7.23
को पेश हो।

25.7.23 ~~पत्रावली पेश हुई~~
~~प्रार्थी वकील उप.।~~
~~विपक्षीगण की तलबी हेतु जारी रजिस्टर्ड नोटिस~~
~~की पावती रसीद प्रार्थी वकील द्वारा पेश की, जो~~
~~नोटिस की हिरीज प्रति पर चस्पा हो।~~
~~स्थगन आदेश प्रभावित यथावत रहेगा।~~ विपक्षीगण
~~का इंतजार बाबत पत्रावली आदेशार्थ 14.9.23 को~~
~~पेश हो।~~

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

14.9.23 ~~प्रार्थी वकील उप.।~~
~~स्थगन आदेश प्रभावित यथावत रहेगा।~~
~~विपक्षीगण का इंतजार बाबत पत्रावली~~ आदेशार्थ
8-11.23 को पेश हो। [illegible]

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:40:59 IST
Reason: SelfAttested

8.11.23 वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित । पीठासीन
अधिकारी वि. / लो. सभा चुनाव बाबत
दीगर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली
वास्ते विपक्षीगण इंतजार
दिनांक 26.12.23 को पेश हो।

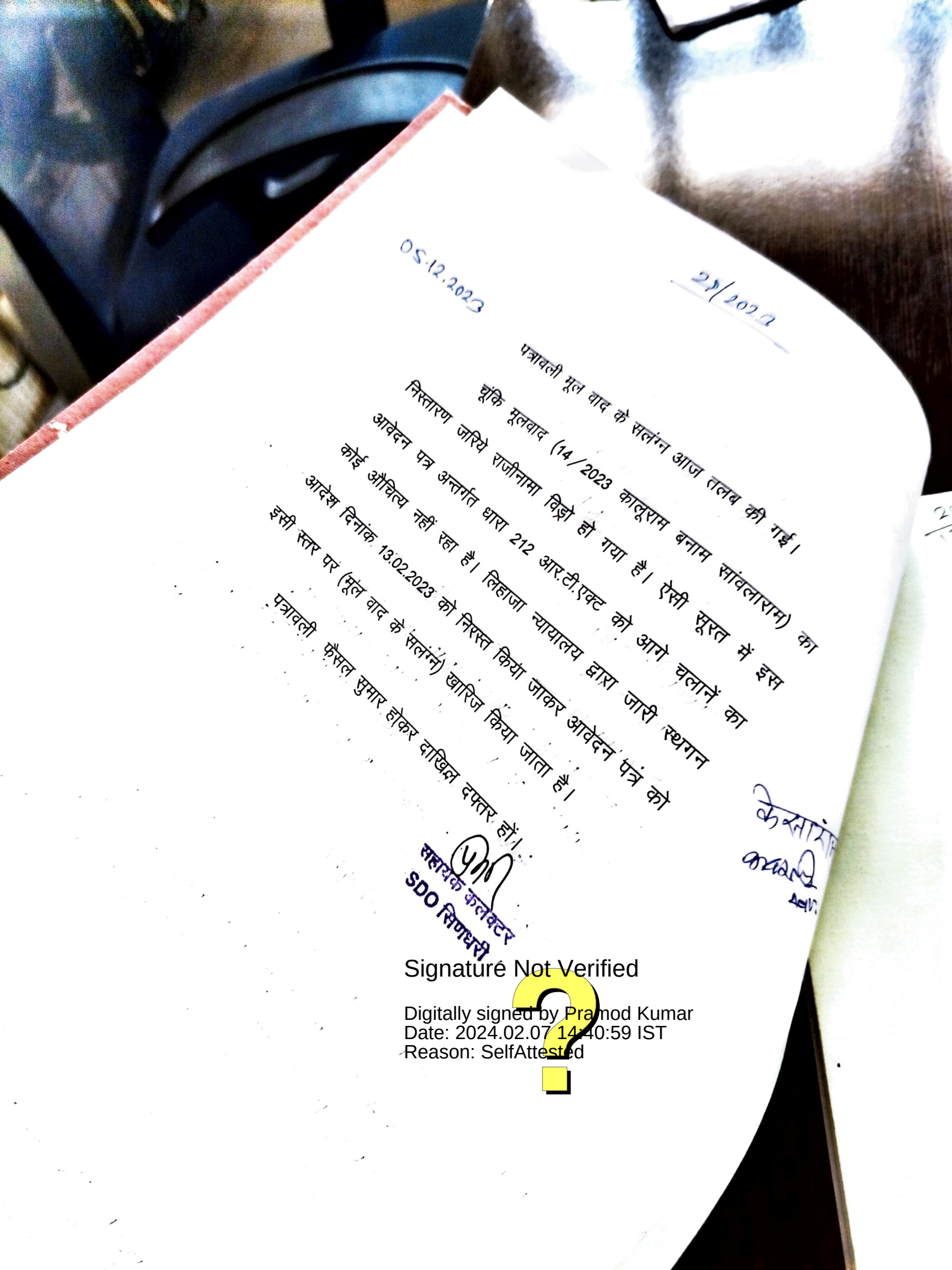

05.12.2023

2?/2024

पत्रावली मूल वाद के संलग्न आज तलब की गई।

चूंकि मूलवाद (14/2023 कालूराम बनाम सांवलाराम) का निस्तारण जरिये राजीनामा डिग्री हो गया है। ऐसी सूरत में इस आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को आगे चलानें का कोई औचित्य नहीं रहा है। लिहाजा न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 13.02.2023 को निरस्त किया जाकर आवेदन पत्र को इसी स्तर पर (मूल वाद के सलंग्न) खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

केसाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:40:59 IST
Reason: SelfAttested